न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 303/2015/डिक्री

1. भंवरलाल पिता रामलाल जणवा
2. उदयलाल पिता डालचन्द जणवा
3. पूनमचंद पिता रामकुमार जणवा
   तीनो निवासी भाणुजा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. शम्भूदास पिता दलदास कामड
   निवासी भाणुजा हाल मुकाम पहूंना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर, बडीसादडी
दिनांक 26.02.2015 प्रकरण सं. 19/2014

उपस्थित – 1. श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. गजेन्द्र सिंह झाला – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 31.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जेयाबी की पुश्तैनी आराजीयात आराजी नम्बर 1029 रकबा 0 बीघा 6 बिस्वा लगानी गै0मु0 जिसके वर्तमान मे नये सेटलमेन्ट के बाद के नम्बर 1419 रकबा 0.07 है0 मौजा भाणुजा तहसील बडीसादडी मे होकर उक्त आराजी वादी के दादा किशनदासजी के समय से चली आ रही है तथा उसकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान लक्ष्मणदास व दलदास के नाम राजस्व अभिलेख मे संवत् 2021 से 2024 की जमाबन्दी मे दर्ज रिकार्ड है जो इन्तकाल संख्या 190 से दर्ज की गयी है। लक्ष्मणदासजी द्वारा अपना हिस्सा अपने भाई को वसीयत कर देने से उक्त आराजी जिसके नम्बर 1029 अकेले दलदास के नाम पर रिकार्ड हो गयी जो इन्तकाल संख्या 303 से दर्ज की गयी तथा वादी दलदास का एकमात्र पुत्र होकर उनका वारीस है तथा उस आराजी पर वादी शम्भूदास काबिज है। वर्तमान मे मजदुरी के लिए वादी शम्भूदास पहॅूना निवास करले लग गया था तथा अभी पडोसीयान से सीमा सम्बन्धी विवाद होने पर खाते की नकल निकलवाई तो जानकारी मे आया की वादी का

नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है तथा उसके नम्बर भी बदल गये है तथा राजस्व कर्मियो द्वारा भूलवश बिना किसी वारिसान की जानकारी किये आराजी बिलानाम दर्ज कर दी जब कि शम्भूदास वादी दलदास का पुत्र होकर उक्त आराजी उसके नाम पर विरासत से दर्ज चाहिये थी जो नही की गयी तथ वादी उक्त आराजी को अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने की घोषणा कराने के अधिकारी है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे विवादित भूमि के बाबत् सही तथ्य वादी ने अंकित नही किए है। सभी तथ्यो को छुपाकर जो निर्णय प्राप्त किया है वह विधि के विरूद्ध है। अपीलान्ट का कब्जा रेस्पोडेन्ट के पिता दलदास के जमाने से संवत् 2014 वैशाख बुदी एकम से चला आ रहा है। इस अपील के दावे मे अपीलान्ट पक्षकार नही थे और उनकी ही जमीन का दावा था, बाद मे अपीलान्ट को इस निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 11/09/2015 को होने पर हुई। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर वादी का दावा खारीज करावे।

3. दिनांक 13.10.2017 को वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश कर बयान किया कि मौजा भाणुजा के आराजी नम्बर 1029 रकबा 6 बिस्वा गे.मु. जिसके नये आराजी नम्बर 1419 रकबा 0.07 है0 पडे इसमे वादी रेस्पोडेन्टस के कथानानुसार यह उनकी पैतृक सम्पत्ति है पूर्वजो से प्राप्त हुई है जिस पर उनका कब्जा चला आ रहा है, परन्तु राजस्व अभिलेखो मे यह भूमि बिलानाम दर्ज कर ली गई है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दलदास का लडका है और उसका एकमात्र वारिस है। वादी रेस्पोडेन्टस ने गवाह सबूत पेशकर अधीनस्थ न्यायालय से यह दावा डिक्री करा लिया। दलदास पिता किशनदास ने यह भूमि बिल एवज 250/– रू. मे संवत् 2014 वैशाख बुदी एकम को डाली पाली सहित घासी पिता गल्ला और पोखर पिता घासी को विक्रय कर दी और घासी के मरने के बाद सभी पुत्रो का कब्जा चला आ रहा था और हाल ही मे घासी के पुत्रो ने उक्त जमीन जणवा समाज, भाणुजा को दान कर दी है और जणवा समाज, भाणुजा ने इस पर पंचायती नोहरा बना लिया है। वादी रेस्पोडेन्टस को ये सभी तथ्य मालूम है इन तथ्यो को छुपाकर अपीलान्टस को पक्षकार बनाये बगैर यह दावा पेश किया। इस निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टस को नही थी। रेस्पोडेन्टस ने अपने दावे मे लिखा है कि राजस्व कर्मचारियो ने मिलीभगत से यह जमीन बिलानाम दर्ज कर दी। राजस्व कर्मियो की भूल की वजह से उक्त जमीन बिलानाम दर्ज हुई

है। इस प्रकरण मे स्वंय दलदास पिता किशनदास ने इस भूमि का इस्तीफा तहसील मे दिया है और उसमे यह उल्लेखित किया है कि वह भाणुजा की सकुनत छोडकर ग्राम संग्रामपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर मे जा रहे है इसलिये इस्तीफा दे दिया है इस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का भाणुजा को पत्र क्रमांक एफ 37/75 प्रार्थना पत्र दिनांक 09/12/1975 को पटवारी हल्का को आदेशित किया था कि जमीन दलदास के खाते से हटाकर बिलानाम दर्ज की जावे इस पर नामान्तकरण संख्या 450 दिनांक 09/12/1976 से यह जमीन बिलानाम सरकार दर्ज हुई इसलिये रेस्पोडेन्ट का यह कथन राजस्व कर्मचारियो की भूल से बिलानाम दर्ज हो गई रिकार्ड से मानने योग्य नही है। संवत् 2014 का विक्रय पत्र गलत होना मानने योग्य नही है यह कथन गलत है क्योकि अपीलान्टस को घासी व उनके पुत्रो को पक्षकार नही बनाया है यदि उनको पक्षकार बनाया जाता तो सभी तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते मौके पर आज भी खेती का स्वरूप नही है वहा पर नोहरा बना हुआ है और समस्त समाज के लोगो के सामुदायिक भवन के रूप मे लेते है। सन् 1975 से भूमि बिलानाम दर्ज है ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट का बिलानाम भूमि पर क्या अधिकार शेष बचता है? यह विचारणीय बिन्दु है, इसलिये उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए वादी रेस्पोडेन्ट ने गलत बयानी की है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

4. दिनांक 15.09.2017 को वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस पेश कर बयान किया कि अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करने का कोई अधिकार नही होकर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही रहे है और ना ही यह अपील पेश करने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी सम्पत्ति होकर उक्त आराजी राजस्व कर्मियो की भूल की वजह से बिलानाम दर्ज हो गयी थी जिसे रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 द्वारा वाद प्रस्तुत कर खातेदारी की घोषणा करायी गयी और उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट अपील मे यह तथ्य लेकर आया कि उसके द्वारा उक्त आराजी संवत् 2014 मे शम्भूदास पिता दलदास से खरीद की गई है तथा अपीलान्ट का उस जमीन पर कब्जा चला आ रहा है जबकि उक्त जमीन से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध सरोकार नही होकर जिस दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट अपील लेकर के आये है वह दस्तावेज अपंजीकृत एवं अनस्टाम्पड होकर साक्ष्य मे पठनीय नही है तथा ऐसे दस्तावेज की कोई विधिक मान्यता भी नही की है। अपीलान्ट द्वारा संवत् 2014 मे उक्त जमीन खरीदने का तथ्य अंकित किया है

जबकि उक्त आराजी दलदास के खातेदारी मे भी संवत् 2028 सन् 1971 मे आयी थी तथा 2014 मे उसकें द्वारा विक्रय करने के तथ्य पूर्णतया गलत है तथा दलदास स्वंय अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति होकर उसके द्वारा कृषि भूमि किसी भी स्वर्णजाति के व्यक्ति को विक्रय करने का कोई अधिकार कभी नही रहा है तथा अपीलान्ट का उक्त दस्तावेज धारा 42 के तहत शून्य दस्जावेज की श्रेणी मे आता है। अपीलान्ट जिस भूमि पर अपना कब्जा बताते है यदि वास्तव मे उनका कब्जा होता तो उक्त भूमि सन् 1975 से लगाकर 2013 तक बिलानाम सरकार दर्ज रही यदि अपीलान्ट का कब्जा होता तो उनके पक्ष मे 91 एलआर एक्ट के कोई दस्तावेज जरूर उपलब्ध होते जिससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट बिलानाम भूमि पर काबिज रहे है। अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 की भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है तथा केवल मिथ्या आधारो पर उक्त अपील पेश की है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील सारहीन तथ्यो एवं मिथ्यो आधारो पर होने से खारीज की जावे।

5. लिखित बहस का अध्ययन एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है तथा सभी विधिक बिन्दुओ का निर्णय पारित करते समय ध्यान नही रखा गया है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 19/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 26/02/2015 को अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़